राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. 1(3)डीओपी/ए-II/2021 जयपुर, दिनांक: 10/01/2025

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ)सेवा नियम,2021 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न अनुसूची-II अधीनस्थ सेवा में के पद में, विद्यमान ग्रुप घ: कम्प्यूटर विंग और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया ग्रुप ङ: पूर्व-प्राथमिक विंग और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"ग्रुप ङ पूर्व-प्राथमिक विंग

1.	वरिष्ठ पूर्व-प्राथमिक अध्यापक	-	100 प्रतिशत	-	पूर्व-प्राथमिक अध्यापक ग्रेड-I	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
2.	पूर्व-प्राथमिक अध्यापक ग्रेड-I	-	100 प्रतिशत	-	पूर्व-प्राथमिक अध्यापक ग्रेड-II	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
3.	पूर्व-प्राथमिक अध्यापक ग्रेड-II	-	100 प्रतिशत		पूर्व-प्राथमिक अध्यापक	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
4.	पूर्व-प्राथमिक अध्यापक	100 प्रतिशत	-	समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा	-	-	राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 के अधीन पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पद पर नियमित रूप

				इटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2014, द्वारा पूर्व-प्राथमिक/नर्सरी अध्यापक के लिए यथा विहित अर्हताएं या एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य अर्हता।			से भर्ती किये गये और नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, इन नियमों के अधीन पूर्व-प्राथमिक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

"

3. **अनुसूची-III का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-III में, विद्यमान शीर्ष 12. प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया शीर्ष 13 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"13. पूर्व-प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

(1) परीक्षा 300 अंकों की होगी।

(2) एक प्रश्नपत्र होगा।

(3) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी।

(4) प्रश्नपत्र में 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई काटा जाएगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 % होंगे, परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त यथानियत प्रतिशत को 5 % तक शिथिल किया जायेगा।

(7) यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो, तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा।

(8) प्रश्नपत्र में सम्मिलित विषय निम्नानुसार है:-

प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार: परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यार्थियों को, नियत समय के भीतर-भीतर ऐसी रीति से, जो आयोग/बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान –100 अंक

(ii) राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 और समसामयिक मामले – 80 अंक

(iii) प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित) से संबंधित विषय-वस्तु –100 अंक

- (क) बाल विकास (0 से 6 वर्ष)
- (ख) शारीरिक विकास
- (ग) सामाजिक और भावनात्मक विकास
- (घ) भाषाई विकास
- (ङ) संज्ञानात्मक विकास
- (च) सृजनात्मक विकास
- (छ) दिव्यांगजन बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
- (ज) अधिगम-प्रेरणा, हित, अभ्यास एवं आचरण
- (झ) अध्यापन अधिगम प्रक्रिया एवं प्रणाली विज्ञान
- (ञ) बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण एवं मूल्यांकन

(iv) शिक्षा मनोविज्ञान - 10 अंक

(v) सूचना प्रौद्योगिकी - 10 अंक।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव।

01/2025